न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 102/2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2019/00257

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1.पुखराज पुत्र मोहनराम
2.अशोक पुत्र मोहनराम
3.शान्ति पत्नि मोहनराम
जाति भील निवासी कुड़ी
तहसील पचपदरा वर्तमान
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1.मिश्रीमल पुत्र भूदरराम जाति पालीवाल के वारिसान
1/1.मांगीलाल पुत्र मिश्रीमल
1/2.मेघराज पुत्र मिश्रीमल
1/3.नेमाराम पुत्र मिश्रीमल
2.भूराराम पुत्र कानाराम जाति चौधरी
3.मांगीलाल पुत्र जगाराम जाति भील
4.खीमदान पुत्र उमरदान जाति चारण के वारिसान
4/1.सेणीदान पुत्र खीमदान
4/2.लक्ष्मणदान पुत्र खीमदान
4/3.किशनदान पुत्र खीमदान
4/4.परबतदान पुत्र खीमदान
4/5.कंचनकंवर पुत्री खीमदान
4/6.रेखाकंवर पुत्री खीमदान
4/7.गवरी बेवा खीमदान
5.देवीदान पुत्र वासूदेव
6.चन्द्रदान पुत्र वासूदेवी
7.सुरेशदान पुत्र वासूदेव
8.मोहनकंवर पत्नि वासूदेव
9.अमरीदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद पालीवाल
10.कुन्दन पुत्र हीराराम पालीवाल
11.श्रवण पुत्र चुन्नीलाल
12.प्रेमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल नाबालिग जरिए कुदरती वली चुन्नीलाल पुत्र चेतरामजी पालीवाल
13.सुभाष पालीवाल पुत्र कुन्दनमल पालीवाल
14.रामलाल पुत्र भीखाराम पालीवाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर

15.गणपतलाल पुत्र चम्पालाल पालीवाल

निवासी गणेशजी की पोल बालोतरा

16.अशोक पालीवाल पुत्र चम्पालाल

निवासी वार्ड संख्या 10 भैरू बाजार बालोतरा

17.सहकारी भूमि विकास बैक शाखा बालोतरा

18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक 30.6.2025

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 172 रकबा 62.07 बीधा भूमि अवस्थित है। वादीगण के पिता मोहनराम द्वारा वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार खीमदान से उसका हिस्सा रकबा 10 बिस्वा भूमि जरिए विक्रय–पत्र दिनांक 26.7.2008 को क्रय किया था। वक्त खरीद से आदिनांक वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्कालीन हल्का पटवादी को वादीगण के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भरवाने हेतु बेचान पत्र की प्रति दिए जाने के उपरांत भी वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण नही भरा गया,जबकि वादीगण के पिता व वादीगण यह मानते रहे कि वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण उनके पक्ष मे भर दिया गया है,लेकिन अभी रेकर्ड की नकल लिए जाने पर जानकारी हुए कि वादीगण के पिता के पक्ष मे नामान्तकरण नही भरा गया। खीमदान के फौत होने पर उनके वारिसान द्वारा अपने पक्ष मे नामान्तकरण भरा दिया गया,जो कि वादीगण के हक हकूक के साथ कुठराधात हुआ है। अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसान की राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में गलत प्रविष्टि को हटवाते हुए वादग्रस्त रकबा 10 बिस्वा भूमि अपनी खातेदारी मे घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के रजिस्ट्रर्ड सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 4/1,4/2 व 4/4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया था,लेकिन जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किया गया,इस कारण जवाब बन्द किया

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गया। तत्पश्चात उक्त प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए। इस कारण प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गए।

3. प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नही होने के कारण वादीगण के वाद–पत्र का अनुतोष ही तनकीयात समझा गया। वादीगण की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह मे PW-01 पुखराज द्वारा सशपथ बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम कुड़ी की खसरा संख्या 172 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की प्रति,प्रदर्श–02 इसी ग्राम का नक्शा प्रति व प्रदर्श 3– वादग्रस्त भूमि मे पारित नामान्तकरण संख्या 487 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। वक्त बहस अधिवक्ता वादीगण नें वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के पिता मोहनराम द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 172 रकबा 62.07 बीघा भूमि मे से खातेदार खीमदान का हिस्सा 255/1247 रकबा 10 बिस्वा भूमि जरिए विक्रय–पत्र दिनांक 26.7.2008 को खरीद की गई थी। वक्त खरीद से आदिनांक वादीगण के पिता व उसके बाद वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्कालीन हल्का पटवादी को वादीगण के पिता द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण भरने हेतु बेचान पत्र की प्रति दिए जाने के उपरांत भी वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण नही भरा गया,जबकि वादीगण के पिता व वादीगण यह मानते रहे कि वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण उनके पक्ष मे भर दिया गया है,लेकिन अभी रेकर्ड की नकल लिए जाने पर जानकारी हुए कि वादीगण के पिता के पक्ष मे नामान्तकरण नही भरा गया। खीमदान के फौत होने पर उनके वारिसान द्वारा अपने पक्ष मे नामान्तकरण भर दिया गया,जो कि वादीगण के हक हकूको के साथ कुठराधात किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण ही काबिज है,लेकिन रेकर्ड मे प्रतिवादी खीमदान के वारिसान के नाम अवैध प्रविष्टि होने के कारण वादीगा को आए दिन मौके से बेदखल किए जाने की धमकिया दी जा रही है,जिसके उक्त प्रतिवादी हकदार नही है। वादीगण की ओर से बयानात एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भी प्रमाणित होता है कि खरीद–शुदा भूमि के वादीगण अपनी खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में खरीद–शुदा भूमि रकबा 10 बिस्वा वादीगण की खातेदारी मे धोषित की जावे।

5. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमे पाया कि ग्राम कुड़ी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 172 रकबा 62.07 बीघा भूमि के तत्कालीन सह–खातेदार खीमदान पुत्र उमरदान द्वारा अपना हिस्सा 255/1247 का रकबा मे से रकबा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

10 बिस्वा भूमि का बेचान वादीगण के पिता मोहनराम को दिनांक 26.7.2008 को किया गया था,जो कि पत्रावली के संलग्न बेचानपत्र अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर वादीगण के पिता मोहनराम के नाम नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था,लेकिन तत्समय नामान्तकरण नही भरा गया,जो कि वादीगण के पिता मोहनराम अपनी खरीद–शुदा भूमि का नामान्तकरण भरवाने का हकदार था। वादग्रस्त भूमि के खातेदार खीमदान द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने के उपरांत भी रेकर्ड मे प्रविष्टि यथावत रहने के कारण खीमदान के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 487 भरा गया,जबकि खसरा संख्या 172 मे खीमदान द्वारा बेचान करने के कारण उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण नही खोला जाना चाहिए था,तो भी अवैध प्रविष्टि इन्द्राज कर दी गई। खीमदान के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4/1,4/2 व 4/4 की ओर से अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी व श्री माधोसिंह चारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया था,लेकिन पर्यापत अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किया और न ही सुनवाई पर उपस्थित हुए,इस कारण उक्त प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गए। न्यायालय हाजा को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी की ओर से वादीगण के वाद को स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है,क्योकि यदि आपति होती तो वकालतनामा पेश होने के कारण जवाब पेश करते,लेकिन ऐसा नही किया गया। ऐसी सूरत मे वादीगण अपने वाद को साबित करने मे सफल रहे है।

6. **अनुतोषः**–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद–पत्र को साबित करने में बखूबी सफल रहे है। अतः वादीगण के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 172 रकबा 62.07 बीधा भूमि में वादीगण के पिता मोहनराम द्वारा बेचान–पत्र क्रम संख्या 2008001862 दिनांक 26.7.2008 के द्वारा खातेदार खीमदान पुत्र उमरदान से खरीद–शुदा रकबा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा रेकर्ड मे आवश्यक संशोधन किया जावें। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
30/06/2025

डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 102/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/00257

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1.पुखराज पुत्र मोहनराम	1.मिश्रीमल पुत्र भूदरराम जाति पालीवाल के वारिसान
2.अशोक पुत्र मोहनराम	1/1.मांगीलाल पुत्र मिश्रीमल
3.शान्ति पत्नि मोहनराम	1/2.मेघराज पुत्र मिश्रीमल
जाति भील निवासी कुड़ी	1/3.नेमाराम पुत्र मिश्रीमल
तहसील पचपदरा वर्तमान	2.भूराराम पुत्र कानाराम जाति चौधरी
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा	3.मांगीलाल पुत्र जगाराम जाति भील
	4.खीमदान पुत्र उमरदान जाति चारण के वारिसान
	4/1.सेणीदान पुत्र खीमदान
	4/2.लक्ष्मणदान पुत्र खीमदान
	4/3.किशनदान पुत्र खीमदान
	4/4.परबतदान पुत्र खीमदान
	4/5.कंचनकंवर पुत्री खीमदान
	4/6.रेखाकंवर पुत्री खीमदान
	4/7.गवरी बेवा खीमदान
	5.देवीदान पुत्र वासूदेव
	6.चन्द्रदान पुत्र वासूदेवी
	7.सुरेशदान पुत्र वासूदेव
	8.मोहनकंवर पत्नि वासूदेव
	9.अमरीदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद पालीवाल
	10.कुन्दन पुत्र हीराराम पालीवाल
	11.श्रवण पुत्र चुन्नीलाल
	12.प्रेमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल नाबालिग जरिए कुदरती वली चुन्नीलाल पुत्र चेतरामजी पालीवाल
	13.सुभाष पालीवाल पुत्र कुन्दनमल पालीवाल
	14.रामलाल पुत्र भीखाराम पालीवाल निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर
	15.गणपतलाल पुत्र चम्पालाल पालीवाल निवासी गणेशजी की पोल बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 102/2019
पुखराज बनाम [illegible] वगैरा

16.अशोक पालीवाल पुत्र चम्पालाल

निवासी वार्ड संख्या 10 गैरू बाजार बालोतरा

17.सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा

18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबत:–53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 102/2019

निर्णय दिनांक :–30.6.2025

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 30.6.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** कि:–वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 172 रकबा 62.07 बीघा भूमि में वादीगण के पिता मोहनराम द्वारा बेचान–पत्र क्रम संख्या 2008001862 दिनांक 26.7.2008 के द्वारा खातेदार खीमदान पुत्र उमरदान से खरीद–शुदा रकबा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा रेकर्ड मे आवश्यक संशोधन किया जावें। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 30.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया —	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ——
जोड़	—	जोड़	——

30/06/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा